2026/123

निर्णय
05.2.2026

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

रामेश्वरलाल बनाम जयचन्द आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 47 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.01.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.02.2026 को पेश हो।	
29.1.2026	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मियाद पेशी-पेश करने पर प्रतिवादी को पेशी से लिया गया। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 17 CPC पेश किया। वकील प्रतिवादी ने अनापत्ति पेश की। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 17 CPC स्वीकार किया जाता है। बकुलए फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी के.ए.आर. ने जरिये वकील हनुमान विनोद उपस्थित आकर इकबाल दावा पेश किया जिसे शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 5.2.2026 को पेश हो।	रामेश्वरलाल जयचन्द मुन्नालाल भैरूराम Hanuman Ram राकेश चाव गोमती रामपति राम रोशन सुनिल शायरी
05.2.2026	बकुलए फरीकैन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रार्थी की प्रार्थना के आधार पर वाद वादी [illegible] विवरण सहित निर्णय [illegible] शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली पर से [illegible] की जाकर बाद तरमीम तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	पक्षकारान प्रतिवादीगण Sunil

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.02.27 11:44:10 IST
Reason: SelfAttested